कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म.प्र.)

//निविदा //

क्रमांक–1688/चार–4–1/16–17, नरसिंहपुर दि.–21-09-2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञा.क्र.–बी/6137/चार–4–8/16, दिनांक 21 दिसम्बर 2016 के पालन में उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारीगण के न्यायालय कक्ष/विश्राम कक्ष में 2 टन के 5 स्टार स्पलिट वातानुकूलित संयत्र जिला न्यायालय नरसिंहपुर में 30 नग एवं तहसील न्यायालय गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर में 16 नग मय स्टेपलाईजर, स्टेण्ड व स्ट्रालेशन चार्ज सहित सक्षम फर्म से भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 तथा कंडिका 11.2 अनुसार क्रय करने हेतु दिनांक 08.11.2017 तक संलग्न निविदा फार्म पर पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में अपरान्ह 4:00 बजे तक निर्धारित शर्तो के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निर्धारित शर्ते व निविदा फार्म का प्रारूप माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की बेवसाइड **www.mphc.gov.in**. पर डाउनलोड कर सकते है। निविदा क्रय समिति के समक्ष दिनांक 09.11.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे खोली जाएगी।

शर्तें :–

1. फर्म द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटन की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. निविदा दिनांक 09.11.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे विशेष न्यायाधीश(एट्रो)/अध्यक्ष क्रय समिति जिला न्यायालय नरसिंहपुर के विश्राम कक्ष में खोली जावेगी। निविदाकर्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उक्त दिनांक एवं समय पर उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित रह सकता है।
3. निविदा में सभी प्रकार के करो व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से अंकित किया जावेगा।
4. निविदा का प्रारूप एवं निविदा की शर्ते जिला नाजिर नजारतअनुविभाग जिला न्यायालय नरसिंहपुर से भी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
5. क्रय की गई सामाग्री का परिदान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर में किया जावेगा।
6. क्रय की गई सामाग्री को जिला न्यायालय नरसिंहपुर एवं तहसील न्यायालय गाडरवारा में पूर्ण रूप से संस्थापित किया जाना होगा।

7. एक से अधिक फर्म/विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत की गई दरें समान होने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/विक्रेता की शाख/कार्य गुणवत्ता वारंटी आदि को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम शाख/कार्य गुणवत्ता वाली फर्म की निविदा स्वीकार की जावेगी।
8. निविदा की शर्त अथवा क्रय की गई सामाग्री सप्लाई करने आदि में किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. वातानुकूलित संयत्र इंस्ट्रालेशन उपरांत ही बिल ग्राहित किया जावेगा।
10. क्रय/सप्लाई कार्य आदेश किसी भी समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के द्वारा बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है, तथा इसके लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
11. वातानुकूलित संयत्र क्रय किए जाने की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
12. निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा निविदा के साथ वातानुकूलित संयत्र मय स्टेपलाईजर, स्टेण्ड व स्ट्रालेशन चार्ज की आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री का अनुमानित मूल्य अनुसार 20,000/–(बीस हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफट प्रतिभूति सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा, जो निविदा की अंतिम वैद्यता की तिथि के बाद 45 दिन की अवधि के लिए वैद्य होना आवश्यक होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
13. असफल निविदाकर्ताओं की प्रतिभूति को यथाशीघ्र लौटाया जावेगा।
14. संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदा कर्ता से आवश्कतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्य संविदा के मूल्य का कुल 10 प्रतिशत होगी। निष्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकेगी।
15. निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा किए गये डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्ति कर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि के लिए वैद्य होना आवश्यक होगा।
17. क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामाग्री की प्रदायगी व स्ट्रालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा कय की जाने वाली सामाग्री का कय आदेश निरस्त किया जा सकता है। संपूर्ण जबावदारी विक्रेता की होगी।

18. क्रय की जाने वाली सामाग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामाग्री अमानक पाए जाने पर वापस की जावेगी, जिसका व्यय विक्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
19. निविदा आमंत्रण की शर्तो में विसंगति पाए जाने अथवा किसी भी विवादित स्थिति का निराकरण म.प्र.भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधान अनुसार किया जावेगा।
20. निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर खोली जावेगी।

प्रजिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर

निविदा प्रारूप

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
नरसिंहपुर(म.प्र.)।

विषय :– जिला स्थापना नरसिंहपुर के द्वारा वातानुकूलित संयत्र क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ :– निविदा प्रकाशन दिनांक ....

—00—

मैं ....पिता .... आयु ....वर्ष निवासी.............. ....फर्म.................................जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के निर्देशानुसार निविदा में दर्शित अनुसार वातानुकूलित संयत्र मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड व इन्सटॉलेशन चार्ज सहित/सामान आपूर्ति/विक्रय करने हेतु निम्न निविदा प्रस्तुत करता हूँ :–

1	विक्रेता फर्म का पूरा नाम	
2	डाक का पूर्ण पता	
3	इन्कम टैक्स पेन नम्बर	
4	टीन नंबर	
5	दूरभाष एवं मोबाइल नंबर	
6	फैक्स नंबर	
7	ई मेल आईडी नंबर	

क्र.	उपकरण/सामान का विवरण	क्षमता/गुणवत्ता	निर्माण कंपनी का नाम	अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति नग	निविदा के अंतर्गत प्रस्तावित दर प्रति नग	जी.एस.टी. की राशि	कुल राशि प्रति नग (कॉलम संख्या 6+7)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मैनें निविदा की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली है और इन्हें भी स्वीकार करता हूँ। मैं निविदा की शर्तो के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामाग्री वातानुकूलित संयत्र मय स्टेपलाइजर, स्टेण्ड इन्स्टॉलेशन चार्ज के संबंध में प्रतिभूति के रूप में डिमांड ड्राफ्ट क्र.......... दिनांक ....रू................ जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम का संलगन कर जमा कर रहा हूँ।

स्थान –

दिनांक–

(निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

पूरा नाम– ....

स्थान – ....